[श्री रघुवीर सिंह शास्त्री]

महीनों और वर्षों लग सकते हैं तो उससे कैसे काम चलेगा ?

दूसरे क्या गवर्नमेंट ने कभी यह सोचा है कि केवल एक फैक्टरी के रहते ऐसी कठिनाइयां और समस्यायें फिर पैदा हो सकती हैं इसलिए कोई दूसरी फैक्टरी भी एक्स्प्लोजिव पदार्थ बनाने के लिए जल्दी से जल्दी स्थापित की जाये ? क्या इस बात पर भी गवर्नमेंट ने कभी विचार किया है ?

DR. TRIGUNA SEN : I have replied to almost all the questions, that if the coal mines cannot be exploited many industries like power supply and others will also be affected. It will affect the whole mining industry also ; it is a very serious matter. Because we are interested in the overall mining and industrial development in the country we are very much in it ; we are concerned about it ; we are worried about it. We have also referred this matter to the Labour Ministry to try and see if they can come and help to bring about a settlement about this. Therefore, it is not that we are sitting quiet.

About the other matters mentioned, this factory, I am told is of the ICI, which is a private sector factory. It is very unfortunate that there is only one factory now functioning in the private sector for such an important item on which depends the future development of the whole mining industry.

SHRI S. M. BANERJEE : Take it over...

DR. TRIGUNA SEN : We have discussed this. We are approaching the Planning Commission for a factory in the public sector. Unfortunately the other private sector factory which is being constructed in Hyderabad has not gone on stream. We are trying to see whether we can have a factory in the public sector. We are trying to see that there is no deficiency in supply of explosives and that the industry does not suffer. We are taking all precautionary measures.

12.32 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Coir Retting (licensing) Amendment Order and papers under Coir Industry Act

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (6) के अन्तर्गत नारियल जटा गलाना (लाइसेंस देना) संशोधन आदेश, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 10 जून, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2141 में प्रकाशित हुआ था। [*Placed in Library. See* No. LT—3934/70]

(2) नारियल जटा अधिनियम, 1953 की धारा 19 की उप धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) वर्ष 1968-69 के लिए नारियल जटा बोर्ड के क्रियाकलापों तथा नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 के लागू किये जाने संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण)। [*Placed in Library. See* No. LT—3935/70]

(दो) 1 अप्रैल, 1969 से 30 सितम्बर, 1969 तक की अवधि के लिए नारियल जटा बोर्ड के क्रियाकलापों तथा नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 के लागू किये जाने सम्बन्धी अर्धवार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण)। [*Placed in Library. See* No. LT—3936/70]

श्री राम चरण (खुर्जा): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। चार दिन हो गए मैंने एक कालिंग अटेंशन नोटिस दी थी कि एन० डी० एम० सी० में हरिजन मजदूरों की हड़ताल चल रही है, मुझे मालूम नहीं कि आपने उसको एडमिट किया या नहीं लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप सम्बन्धित मन्त्री से यहां पर उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिलवा दें।

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta-North-East): This is the third successive day we are trying to raise discussion of an important matter by way of Calling Attention Notice. We are faced with a situation where the arrests have started running into five figures over the land movement. In the other House they had an opportunity of discussing it. We have to discuss matters of current importance and it is rather bad that we are deprived of this opportunity when we can bring this up within the ambit of our own rules.

श्री जनेश्वर मिश्र (फूलपुर): इस पर बहस होनी चाहिए।...(व्यवधान)...

श्री रणधीर सिंह: हम भी एग्री करते हैं, इस पर बहस जरूर होनी चाहिए।...(व्यवधान)...

12.35 hrs.

RE. BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय: आठ दस आदमियों की आवाज एक वक्त में मैं कैसे सुन सकता हूं? स्पीकर को तो ऐसा होना चाहिए जोकि सभी को एक वक्त में सुन ले। मैंने कालिंग अटेंशन के बारे में सोचा था लेकिन मैं यह सोचता हूं कि इसके बारे में कोई डिस्कशन रख दूंगा। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इसको रखा जायेगा और मैं समझता हूं डिस्कशन के लिए ज्यादा टाइम मिल सकेगा।

श्री शिव नारायण (बस्ती): अध्यक्ष महोदय इस हाउस में जो डिस्कशन चल रहा है उसके लिए आप दो तीन घंटे का टाइम और बढ़वा दीजिए।

MR. SPEAKER: 5 hours and 10 minutes have already been taken. Those leaders who were present at the meeting of the Business Advisory Committee know that we increased it from 3 hours to 5 hours. Previously, it was four hours, and then we increased it again by one hour and it went up to 5 hours. Still, hon. Member are demanding more time.

श्री राम चरण (खुर्जा): अध्यक्ष महोदय, पहले, एक रिपोर्ट पर 6 घंटे मिलते थे। इस बार तीन रिपोर्टें हैं और साथ में पेरुमल कमेटी की रिपोर्ट भी है। उस हिसाब से इस के लिए 24 घंटे बनते हैं लेकिन आप इसके लिए कम से कम 20 घंटा जरूर दीजिए।...(व्यवधान)...

MR. SPEAKER: How shall we run the whole programme unless we stick to the schedule?

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन): चार रिपोर्टों के लिए कम से कम 8 घंटे जरूर होने चाहिए। एक रिपोर्ट पर दो घंटे के हिसाब से कम से कम 8 घंटे जरूर होने चाहिए वरना थोड़े समय में काफी बोलने वाले रह जायेंगे। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसके लिए 8 घंटे रखे जायें।

MR. SPEAKER: I find that hon. Members are demanding more time. For the present, I shall increase it by 1 hour. The Business Advisory Committee...

SHRI RAM CHARAN: 1 hour is not enough.

MR. SPEAKER: The hon. Member should listen to me. I am increasing it by 1 hour till the Business Advisory Committee